जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
139/2016

A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 139/2016 अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड़, वार्ड न0 15, रावला मण्डी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

22–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड उपस्थित नही है। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ से डाक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सं0 272 दिनांक 28.10.16 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2016 के द्वारा एसडीएम अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1)–एसडीएम अनूपगढ के आदेश क्रमांक एसडीओ/राजस्व/2001/1352 दिनांक 11.06.2001 की प्रमाणित प्रति भिजवायें।
(2) एसडीएम महोदय अनूपगढ के द्वारा मु0न0 34/99 अनवान तिलोकाराम बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 06.06.2001 की सम्पूर्ण मूल फाईल की प्रमाणित प्रति भिजवायें व सम्पूर्ण पत्रावली भेजे।
(3) चक 2 डी.ओ.एल. के मु0न0 134/8 की 2000 सन् की प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति भिजवायें।

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र खीचड़ द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2016 से चाही गई सूचना 60 दिन का समय व्यतीत होने पर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन सं0 272 दिनांक 28.10.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने का प्रा0 पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 05.07.16 को प्राप्त हुआ है जिसके सन्दर्भ में उनके कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 26.07.16 द्वारा प्रार्थी को इस आश्य का पत्र लिखा गया कि प्रा0 पत्र. में निर्णय अधिकारी का पदनाम व प्रकरण का प्रकार अंकित नही किया गया है जिससे पत्रावली तलाशने में कठिनाई आ रही है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त विवरण उपलब्ध नही करवाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने पत्र सं0 200 दिनांक 26.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतू प्रा0 पत्र में मु0न0 34/99 अनवान त्रिलोकाराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.06.02 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई है। प्रा0 पत्र में आप द्वारा निर्णय अधिकारी का पदनाम व प्रकरण का प्रकार अंकित नही किया गया है जिससे पत्रावली तलाशने में कठिनाई आ रही है। अतः उक्त बिन्दु से अवगत करावे ताकि पत्रावली तलाश की जाकर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
139/2016
A3/2

 अपील सूचना अधिकार संख्या 139/2016

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही **है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी से उक्तानुसार जानकारी चाही थी जो उसके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त जानकारी लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी।** इसलिए बिन्दु सं0 1 व 2 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है किन्तु बिन्दु सं0 3 के बारे में कोई उत्तर नही दिया गया है जो उचित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील आशिंक स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिंक रूप से स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को आदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी के उक्त बिन्दु सं0 3 की सूचना अगर उनसे संबंधित नही थी तो उन्हे 5 दिन में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र की प्रति भिजवाते हुए आवेदक को सूचित करना चाहिए था किन्तु लोक सूचना अधिकारी के जबाब से ऐसा किया जाना प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक के उक्त बिन्दु सं0 3 की सूचना के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित लोक सूचना अधिकारी को निस्तारण के लिए प्रेषित करे ताकि संबंधित लोक सूचना अधिकारी इसका नियमानुसार निर्णय कर सकें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर